



प्रेषक,

अरुण कुमार ढौंडियाल,
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक : 6 अक्टूबर, 2015

महोदय,

कृपया उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या T.C. 2(1)xxiv(6)14 में प्रदत्त संस्तुति एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल / कुलाधिपति द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अधीन निम्नांकित संस्थानों को बी०एड० पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :-

क्र०सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	बीहाईव कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी, सेलाकुई देहरादून।	बी०एड०	100 सीट	सत्र 2014-15
2	रिम्स कॉलेज, दहियाकी, गुरुकुल, नारसन, रुड़की, जिला हरिद्वार	बी०एड०	100 सीट	सत्र 2014-15
3	नॉर्डन इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम बढेडी, रुड़की, हरिद्वार।	बी०एड०	100 सीट	सत्र 2014-15
4	पी०आई०टी०एस० (पिट्स) बी०एड० कॉलेज, उत्तरकाशी।	बी०एड०	100 सीट	सत्र 2014-15
5	एस०बी० कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विकासनगर, देहरादून।	बी०एड०	100 सीट	सत्र 2014-15

1. यह अस्थायी सम्बद्धता संस्थान द्वारा सभी मानकों की पूर्ति की शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है। इसी मध्य सभी प्रकरणों का पृथक से परीक्षण किया जायेगा तथा भावी अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय या कार्यवाही उसी आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
2. सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक-शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।

